



संख्या- 54 /2026/001-1291-81-4-26

प्रेषक,

नीरजा सकसेना,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 07 जुलाई, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित- "इन्टीग्रेटेड डेवलपमेन्ट आफ वाईल्ड लाईफ हैबीटेड्स" योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अवमुक्त की गयी केन्द्रीय सहायता के उपयोगार्थ आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू० 417.50 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या- पी-981/36-टी-77(IDWH) दिनांक 19.06.2026 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुदान संख्या-60 में वित्तीय वर्ष 2026-27 में केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित- "इन्टीग्रेटेड डेवलपमेन्ट आफ वाईल्ड लाईफ हैबीटेड्स" योजना के अन्तर्गत आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि रू० 1865.00 लाख के सापेक्ष धनराशि केन्द्रांश रू० 250.50 लाख तथा राज्यांश रू० 167.00 लाख सहित कुल **धनराशि रू० 417.50 लाख (रू० चार करोड़ सत्रह लाख पचास हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. विभागाध्यक्ष द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

2. उक्त धनराशियों का आवंटन स्वयं में व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। अतः जिस व्यय के संबंध में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों अथवा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा शासन के वर्तमान आदेशानुसार शासन की अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति लिया जाना अपेक्षित है, उसे व्यय करने से पूर्व अनिवार्यतः प्राप्त किया जाय।

3. वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों का पूर्ण रूपेण अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4. अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय न किया जाए और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाए।

5. व्यय को विभागीय मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करने हेतु समयबद्ध कार्यक्रम तथा अनुश्रवण समय सारणी भी प्रभागीय स्तर से लेकर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के स्तर तक सुनिश्चित कर ली जाय।

6. योजनान्तर्गत कार्यो हेतु ई-टेण्डरिंग विषयक समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय एवं क्रय सम्बन्धी- समस्त कार्य जी0ई0एम0 पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा।

7. प्रश्नगत स्वीकृति अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या पी- पी-981/36-टी-77(IDWH) दिनांक 19.06.2026 में अंकित विवरण के आधार पर निर्गत की जा रही है। अतएव किसी भी लिपिकीय एवं आंकिक त्रुटि के लिए अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

8. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ यह

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत स्वीकृति के सापेक्ष प्रस्तावित कार्यों की शतप्रतिशत सफलता सुनिश्चित की जाय।

9. उक्त के अतिरिक्त समस्त वित्तीय नियमों/प्राविधानों/निर्देशों एवं औपचारिकताओं का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ०प्र० द्वारा विषयगत योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गत समस्त दिशा-निर्देशों/शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी विभागाध्यक्ष की होगी।

12. विभागाध्यक्ष यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

13. बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व विभागाध्यक्ष का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश विभागाध्यक्ष द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

14. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

15. विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

16. अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। विभागाध्यक्ष पूर्व में अवमुक्त की गयी धनराशि के व्यय के संबंध में सुनिश्चित हो लेंगे।

17. विभागाध्यक्ष विषयगत योजनान्तर्गत भारत सरकार के पत्रांक-13-24/WL, दिनांक 22.05.2026 द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश के सम्बन्ध में सुनिश्चित हो लेंगे। विभागाध्यक्ष भारत सरकार द्वारा उपरोक्त पत्र में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्षः 2406021100140 (इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबीटेड्स (के.60/रा.40-के.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	060	2406021100140 इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबीटेड्स (के.60/रा.40-के.)	29 अनुरक्षण	1,04,43,700 (रुपये एक करोड़ चार लाख तैंतालीस हजार सात सौ मात्र)
2	060	2406021100140 इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबीटेड्स (के.60/रा.40-के.)	42 अन्य व्यय	2,08,89,600 (रुपये दो करोड़ आठ लाख नवासी हजार छह सौ मात्र)
3	060	2406021100140 इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबीटेड्स (के.60/रा.40-के.)	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	4,56,500 (रुपये चार लाख छप्पन हजार पाँच सौ मात्र)
	कुल			3,17,89,800 (रुपये तीन करोड़ सत्रह लाख नवासी हजार आठ सौ मात्र)

लेखाशीर्षः 4406021100106 (इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबीटेड्स (के.60/रा.40-के.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	060	4406021100106 इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबीटेड्स (के.60/रा.40-के.)	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	3,22,400 (रुपये तीन लाख बाईस हजार चार सौ मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

2	060	4406021100106 इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबीटेट्स (के.60/रा.40-के.)	25 लघु निर्माण कार्य	89,52,800 (रुपये नवासी लाख बावन हजार आठ सौ मात्र)
3	060	4406021100106 इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबीटेट्स (के.60/रा.40-के.)	26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	6,85,000 (रुपये छह लाख पचासी हजार मात्र)
	कुल			99,60,200 (रुपये निन्यानबे लाख साठ हजार दो सौ मात्र)

महायोग	4,17,50,000 (रुपये चार करोड़ सत्रह लाख पचास हजार मात्र)
---------------	--

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या **E-7-18-X-2026-27-दिनांक:2-7-2026** में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीया,
नीरजा सक्सेना
विशेष सचिव,

संख्या- 54(1)/2026/001-1291-81-4-26, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), चतुर्थ तल, हाल नं0-2, आडिट भवन, टी0सी0-35, बी-1, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
3. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ०प्र, लखनऊ।
5. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उ०प्र०।
6. वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उ०प्र०, लखनऊ।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 / वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ०प्र० शासन।
8. गार्ड फाइल/अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
दिलीप कुमार शुक्ल
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।